JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

एक सम्यक समाज हेतू प्रेरणादायक व्यक्तित्वः हंसा मेहता

डॉ० मन्जु
एसोसिएट प्रोफेसर
दिल्ली विश्वविद्यालय

सारांश

पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की दयनीय को शिक्षा के माध्यम से बदला जा सकता है। बहुगुणी हंसा मेहता भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा–स्त्रोत है, जिनके अनुकरण से स्व निर्माण व राष्ट्र निर्माण में सहयोग दिया जा सकता है।

संकेतशब्द (Keyboard)– पितृसत्तात्मकता, लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण, समान नागरिक संहिता, संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकरों की घोषणा।

भारतीय समाज का पितृसत्तात्मक होना एक वास्तविकता है, उसी वास्तविकता में स्त्रियों का स्वयं के लिए स्थान बनाना एक चुनौती के समान रहा है। भारतीय इतिहास में ऐसी बहुत सी महिलायें हुई हैं जिन्होंने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवाया है। हंसा मेहता एक ऐसा नाम है, जिन्होंने न केवल महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रयास किए, अपितु स्वयं को उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत कर भारतीय महिलाओं का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ाया है।

3 जुलाई 1897 को जन्मी हंसा मेहता को कई भूमिकाओं में चित्रित किया जा सकता है। वह एक सामाजिक कार्यकर्त्ता, स्वतंत्रता सेनानी, नारीवादी, शिक्षाविद्ध व लेखिका थी। गुजरात में बडौदा के एक संपन्न परिवार में हंसा जी का जन्म हुआ। 1918 में दर्शनशास्त्र में उन्होंने ग्रेजुऐशन किया तथा बाद में समाजशास्त्र व पत्रकारिता के अध्ययन हेतु वह इंग्लैण्ड चली गई। राष्ट्र के प्रति प्रेम तथा महिलाओं का राजनीति में भागीदारी जैसे सिद्धान्तों को हंसा मेहता ने कम उम्र में ही क्रियान्वित करना शुरू कर दिया था जब 1918 में वह सरोजीनी नायडू तथा 1922 में महात्मा गाँधी से मिली। गाँधी जी द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम जैसे विदेशी कपड़ो की होली जलाना तथा शराब बेचने वाली दुकानों का बहिष्कार करना इत्यादि आंदोलनों में हंसा मेहता ने बढ़–चढ़ कर अपना

योगदान दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1932 में उन्हें अपने पति जीवराज नारायण मेहता के साथ जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद बम्बई विद्यान परिषद की सदस्य बनने के बाद से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की भारतीय प्रतिनिधि तथा 1995 तक उन्होंने अपने जीवन में अनेकों पड़ावों को पार किया तथा एक सशक्त व सफल महिला होने का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके बहुआयामी पक्ष सभी भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत है। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेकों ऐसे कार्य किए जो एक सबल महिला का परिचय देते प्रतीत होते है।

आज आधुनिक महिलाओं को सशक्त महिलाओं के खाँचे में बांधने का प्रयास किया जाता है। एक सशक्त महिला वह है जो अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सके। महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर सामाजिक व राजनीतिक अधिकार, वित्तिय सुरक्षा, न्यायिक शक्ति तथा वे सभी अधिकार मिले जो पुरुषों को प्राप्त है। उन्हें आत्म सम्मान मिले तथा वे आत्मनिर्भर बने, ताकि वो अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके। घर व घर से बाहर वे बिना किसी डर व दबाव के रह सके। शिक्षा के बराबर अवसर उन्हें प्राप्त हो। महिलाओं को एक भोगने की वस्तु तथा बच्चा पैदा करने वाली मशीन के रूप में न देखा जाए। स्त्री को भी पुरुष के समान एक मानव ही समझा जाए। सभी को मानव समझने की भावना को, हंसा मेहता ने संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में भाषा को बदल, सबके सामने एक नई परिकल्पना को प्रस्तुत किया।

स्त्री पुरुष दोनों को मानव समझने की अपील सीधे–सीधे लैंगिक समानता की बात करती है। लैंगिक समानता या लैंगिक न्याय एक ऐसा विषय है, जो इतिहास से लेकर भविष्य तक यूं ही अपनी प्रासंगिकता बनाए रखेगा। विश्व समाजों का पुरुष प्रधान होना महिलाओं को द्वितीय श्रेणी के मानव स्वरूप प्रस्तुत करता है, तथा यही से नारी उत्पीड़न व शोषण की प्रक्रियाऐं चलना शुरू हो जाती है। स्त्री व पुरुष के मध्य शारीरिक भेद (प्राकृतिक भेद) को मिटाना किसी समाज का या राज्य के बस की बात नहीं है। लेकिन उसी शारीरिक भेद के चलते आधी आबादी को विकास का मौका नहीं मिलना मानवीय मूल्यों की अवमानना के समान है। अनेकों विचारकों ने महिला उत्पीड़न मुक्ति व महिला सशक्तीकरण के ढ़ेरों उपाय सुझाये है, जो सही मायनों में कारगर भी है। लेकिन हंसा मेहता वो नाम कहा जा सकता है, जिन्होंने अपने जीवन काल में वो सभी कार्य किए, जो अन्य महिलाओं के समक्ष उदाहरण का कार्य प्रस्तुत करते है, तथा पुरुष समाज को यह सीख देते हैं कि महिला को घर की चारदीवारी में रखना या उस पर नियंत्रण स्थापित करना, समाज को पीछे धकेलने के समान है। अतः यदि हमें समाज को आगे ले जाना है, तो हमें महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर विकास के सभी अवसर देने होंगे।

सम्मानीय हंसा मेहता के जीवन काल पर यदि नज़र डाले तो हम पाते हैं कि उन्हें बचपन में एक अच्छा परिवेश मिला, जहाँ अच्छे लालन पालन के साथ उन्हें अच्छी शिक्षा का भी अवसर मिला। दर्शनशास्त्र में उन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की तथा बाद में उच्च शिक्षा हेतु वह इंग्लैंड पढ़ने भी गई। इन परिस्थितियों से यह बात स्पष्ट होती है कि यदि प्रत्येक घर में बालक व बालिका को अच्छी परवरिश व अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, तो एक विवेक पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है।

हंसा मेहता जब पत्रकारिता की पढ़ाई (उच्च शिक्षा) हेतू इंग्लैण्ड गई, तो वहां उनकी भेंट सरोजिनी नायडू से हुई। नायडू से जुड़कर हंसा ने महिला आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया, तथा वे जेनेवा में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी गई। पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद हंसा मेहता अमेरिका की यात्रा पर गई, वहाँ से फ्रांसिस्को, शंघाई, सिंगापुर व कोलंबो होते हुए वह भारत आई। अपनी यात्रा के अनुभवों को उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित किया। धर्म, समाज व रीति–रिवाजों ने महिलाओं को गृहकार्य संभालने व जननी मात्र के रूप में परिभाषित करके छोड़ दिया है। लेकिन यहां हंसा मेहता के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में विकास कुंऐ का मेंढ़क बनकर नहीं किया जा सकता। नई बातें, नई तकनीक, नई सोच को जीवन में उतारना भी अति आवश्यक है।

भारत लौटकर आई हंसा मेहता को सरोजिनी नायडू ने महात्मा गाँधी जी से मिलवाया तथा यही से उनके राजनैतिक जीवन दूसरे शब्दों में राष्ट्रों के प्रति कर्तव्य पूर्ति की भावना का भी उदय हुआ।

1923 में जब हंसा मेहता भारत वापस आई, तो मुम्बई के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ0 जीवराज मेहता से उनका विवाह हो गया। हंसा मेहता विवाह से पूर्व हंसाबेन थी, चूँकि अन्तर्जातिए विवाह (प्रतिलोम विवाह) को समाज की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी, अतः ऊंची जाति का वैश्व के संग विवाह के प्रतिरोध में गुजरात से बनारस तक सभाएं की गई तथा उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। इन सभी घटनाओं से हंसाबेन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई और कहा कि जब जाति से बहिष्तकृत हो चुकी हूँ, तो विवाह स्थगित करने का कोई तुक नहीं है। इस घटना से उनके दृढ़ निश्चयी होने का पता चलता है। जिसका प्रभाव हम देख पाते हैं कि वह कई समीतियों जैसे गुजरात महिला सहकारी समिति, बंबई नगरपालिका विद्यालय समिति, राष्ट्रीय महिला परिषद व अखिल भारतीय महिला सम्मेलन आदि से) लेकिन सरोजिनी नायडू तथा राजकुमारी अमृत कौर से हुए परिचय के चलते वह जल्द ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गई। उन्होंने साइमन कमीशन के

बहिष्कार में आगे बढ़कर भाग लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में शराब और विदेशी वाजों की दुकानों पर धरना देने में महिला का नेतृत्व किया। महिलाओं को संगठित करके उनके माध्यम से समाज में जागृति उत्पन्न करने के काम में वे अग्रणी रही। इन्हीं कारणों के चलते ब्रिटिश सरकार ने 1930 व 1932 में उन्हें जेल में भी रखा था। इन घटनाआं से विदित होता है कि महिलाएं भी चाहे तो राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्षम भूमिका दे सकती है। महिलाएं भी राजनैतिक जगत का हिस्सा हो सकती है। अरस्तु जैसे महान विचारक ने जहाँ महिलाओं को नागरिक नहीं मानकर राजनैतिक कार्यों से दूर रखा था, वहीं हंसा मेहता व उनके जैसी कई महिलाओं ने अरस्तू की अवधारणा को झुठला दिया तथा यह सिद्ध किया कि महिलाएं भी पुरुष के समान ही विवेकशील प्राणी है तथा वह भी अपना सकारात्मक योगदान दे सकती है।

हंसा मेहता 1937 में बाम्बे विधान परिषद से चुनाव जीत कर आई। उन्होंने आरक्षित सीट से चुनाव लडने के स्थान पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। उन्हें शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग का संसदीय सचिव बनाया गया तथा उनके नेतृत्व में कई वोकेशनल, तकनीकी व व्यवसायिक स्कूल खोले गए। 1949 तक वह परिषद की सदस्य रही। 1946 में हंसा मेहता ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महिलाओं की स्थितियों पर बनी उप समीति ने भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा वह मानवाधिकार समीति की उपाध्यक्ष भी रही, जहाँ पर उन्होंने न केवल भारत का प्रतिनिधित्व किया, अपितु वह ऐतिहासिक वक्तव्य दिया, जिसने महिलाओं को महिला न समझ पुरुष के जैसा ही मानव मानने की अवधारणा का स्पष्टीकरण दिया।

हंसा मेहता संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत की प्रतिनिधि थी। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद एक (1) में सभी पुरुष स्वतंत्र व समान पैदा होते हैं, के स्थान पर सभी मनुष्य स्वतंत्र व समान पैदा होते है, जैसा वाक्यांश देकर विश्व को सभी लिंगों (जेंडर) के प्रति समान भाव व समान संवदेनशीलता रखने की बात की गई। इसी तरह अनुच्छेद 16 में भी हंसा मेहता व एलेनोर रूजवेल्ट ने महिलाओं को विवाह की समानता की भी गारंटी प्रदान की। अनुच्छेद 16 जहाँ महिलाओं को वैवाहिक समानता का अधिकार देता है, वहीं अनुच्छेद एक अपने विषयक्षेत्र में काफी विस्तृत प्रतीत होता है। इसमें स्त्री, पुरुष के साथ थर्ड जेंडर को भी शामिल किया जा सकता है। अकसर थर्ड जेंडर के प्रति समाज का रवैया काफी घिनौना रहा है। वे भी समाज का हिस्सा है, उनके कल्याण व विकास की जिम्मेदारी भी समाज व राज्य की है। इसके साथ उन्हें भी मनुष्य समझना व उनके प्रति सकारात्मक रवैया रखने की जागरूकता फैलाना राज्य का कर्तव्य है। उनके लिये शिक्षा व रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाए ताकि उन्हें वेश्याकृति

या अनुपयोगी कार्यों की तरफ ना बढ़ना पड़े, तथा राष्ट्र निर्माण में वे भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभा पाए।

भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तथा हंसा मेहता उन प्रसिद्ध 15 महिलाओं में से एक थी जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया। विधान सभा में उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में जोरदार तर्क दिये। हंसा मेहता मौलिक अधिकारों की समीति की सदस्य थी तथा सलाहकार समीति की भी सदस्य थी इसके साथ–साथ वह प्रांतीय संविधान समीति की सदस्य थी। हंसा मेहता ने राजकुमारी अमृत कौर के साथ मिलकर भारतीय महिला अधिकार और कर्तव्यों के चार्टर का मॉडल तैयार किया। इसके अलावा उन्होंने जिस मुद्दों को संवैधानिक सभा में उठाया उन्हें हम निम्न संदर्भों में समझ सकते है।

– जैसा कि हम जानते हैं कि 1946 में ही वे लैंगिक समानता के पक्ष में जोरदार प्रस्तुती कर चुकी थी तथा भारतीय भूमि पर उसे साकार करने का भी उन्होंने पुरजोर प्रयास किया।

– हंसा मेहता चाहती थी कि समान नागरिक संहिता को मौलिक अधिकारों की सूची में डाला जाए। उन्होंने समिति में अपना कड़ा विरोध दर्ज करवाया कि "भारत को राष्ट्रीयता की ओर आगे बढ़ने से रोकने वाले कारणों में से एक कारक धर्म पर आधारित व्यक्तिगत कानून का अस्तित्व है जो देश को कई विवादित पहलुओं में विभाजित करता है।" जिस समान नागरिक संहिता को लागू करने की सिफारिश सर्वोच्च न्यायलय कई बार कर चुका है, उस प्रावधान की महत्वता को हंसा मेहता ने उसी समय जान लिया था।

– इसी तरह जब संवैधानिक सभा में हिन्दू कोड बिल पर चर्चा हो रही थी तब हंसा मेहता ने इस पर अपना पूर्ण समर्थन दिया तथा बताया कि भारत एक नया राज्य लोकतांत्रिक राज्य बनने जा रहा है तथा यह लोकतंत्र व्यक्तियों की समानता पर आधारित होना चाहिए। उनका मानना था कि महिलाओं के प्रति असमानता, अत्याचार तथा उन्हें दोषी करार करना कहीं ना कहीं बहुविवाह के कारण है। एकलविवाह होता, तो मुझे लगता है कि महिलाओं की वह दुर्दशा नहीं होती, जो अकसर शादी में रहने पर होती है। यह समग्र सिद्धांत है तथा मैं आशा करती हूँ कि सदन में भी इसे स्वीकार किया जाएगा।

इस तरह पिता की संपत्ति में पुत्र व पुत्री को समान हिस्सा मिलना चाहिए तथा महिलाओं को भी तलाक का अधिकार प्राप्त हो, के विषय में अपने तर्क प्रस्तुत किए। अपनी पुस्तक इंडियन

वुमन में वह लिखती है कि भारत में महिलाओं को राज्य द्वारा व्यक्तियों के रूप में माना जाए, न कि उनके अधिकार पति या परिवार पर निर्भर हों।

– हिंदू कोड बिल व अन्य संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा के दौरान आर.सी. चौधरी ने कहा कि गायों की सुरक्षा के लिए तो संविधान में प्रावधान बनाए जा रह है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ पुरुष उत्पीड़न के बचाव हेतु कोई कानूनी प्रावधान नहीं हैं इस पर हंसा मेहता ने क्रोधी स्वर में जबाव दिया कि दुनिया पुरुषों के बारे में काफी कम सोचती है (यदि उन्हें पुरुषों की सुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ चाहिए)। मैं बहुत खुश हूँ कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, नहीं तो पुरुषों को दुनिया के सामने अपना मुँह छिपाना पड़ता। हंसा मेहता पुरुष प्रधान समाज की सच्चाईयों से अवगत थी।

हंसा मेहता ने भारतीय महिलाओं के गरिमापूर्ण विकास में शिक्षा के महत्व को बखूबी समझा ही नहीं, अपितु शिक्षा को मौलिक अधिकार की सूची में शामिल करवाने की भी कोशिश की। भारतीय संदर्भ में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक समस्या को जानते समझते हुए लड़कियों के लिए 14 वर्ष तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की, जिसे हंसा मेहता समिति के सुझाव के रूप में जाना जाता हैं उनका मानना था कि– हम यह अनिवार्य समझते हैं कि भारतीय महिला के स्तर में सुधार किया गए ताकि उसे पुरुषों के समान स्तर तक लाया जाए। जिससे कि वे देश व विश्व के पुननिर्माण में अपना योगदान दे सके। महिलाओं के स्तर को सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही उठाया जा सकता हैं इस क्षेत्र में उनका योगदान निम्न था

राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद ने 1962 में हंसा मेहता समिति का गठन किया जिसने महिला शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति हेतू निम्न सुझावों की बात की–

– प्राथमिक स्तर पर सह–शिक्षा को अपनाया व बढ़ावा दिया जाए।

– यदि आवश्ययक हो तो प्राथमिक व माध्यमिक स्तर तक बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों का गठन किया जाए।

– पृथक स्कूल व कालेजों तथा सह शिक्षा पर आधारित स्कूल व कॉलेजों का निर्माण किया जाए। माता–पिता जहां उचित समझे वहां बच्चों को शिक्षा दिलाए।

– उच्च माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को साइंस व गणित की शिक्षा भी दी जाए।

- प्राथमिक स्तर पर ज्यादा महिला शिक्षकों की भर्ति की जाए। इसके साथ–साथ जहाँ–जहाँ बालक व बालिकाएं पढ़ती हो वहां भी महिला शिक्षकों को ज्यादा शामिल किया जाए।
- उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़कियों को गृह विज्ञान (होम साइंस) की भी शिक्षा दी जाए।
- लड़कियों को स्कोलरशिप, मुफ्त परिवहन व अन्य सुविधायें भी दी जाए, ताकि उन्हें शिक्षा से वंचित न रहना पड़े।
- माध्यमिक स्तर तक लड़के व लड़कियों का करिकुलम एक सा होना चाहिए।
- पाठ्य पुस्तकों के निर्माण समिति में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए।
- वोकेशनल विद्यालयों व कॉलेजों का भी निर्माण होना चाहिए, ताकि लड़कियों को भिन्न–भिन्न वोकेशन कार्यक्रमों के लिए तैयार किया जा सके।

हंसा मेहता का सामाजिक योगदान

- 1949 में हंसा मेहता नव स्थापित बड़ौदा विश्वविद्यालय की कुलपति बनी, वह पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इस प्रकार के उत्तरदायित्व का वहन किया। इस कार्यकाल में उन्होंने तीन नए संकायों की स्थापना की जैसे गृह विज्ञान, सामजिक कार्य और ललित कला। विश्वविद्यालय रीतियों के विपरीत उन्होंने शिक्षकों को, परीक्षा के तरीकों का अध्ययन करने के लिए विदेश भेजा तथा छात्र संघ को एक मंच प्रदान किया।

शिक्षा पर उनके विचार अनुकरणीय तथा समय से बहुत आगे थे। जैसे 1948–49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का मानना था कि यद्यपि पुरुष व स्त्री शैक्षणिक कार्य में समान रूप से सक्षम थे, उनकी शिक्षा समान नहीं होनी चाहिए। इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा– हर देश में महिला मुक्ति का रास्ता चाहे कितना ही पार कर लिया हो, पर पत्नी पति आमतौर पर अलग–अलग भूमिका निभाते हैं। सामान्य तौर पर, पुरुष आय प्रदान करता है और महिला घर का रखरखाव करती है। एक महिला के लिए घर का डिजाइन देना, सुंदर व्यवस्था करना–– एक उच्च कला है, इसे सयोग से प्राप्त नहीं किया जाएगा, और शिक्षा के अलावा कई महिलाओं के लिए इसका अधिग्रहण असंभव होगा। इस राय को 1962 में हंसा मेहता की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा चुनौती दी गई थी। इसने स्पष्ट किया कि महिला योग्यता जैसा कोई कारक नहीं था जो एक मर्दाना और एक स्त्री पाठ्यक्रम के बीच विभाजन को निर्धारित कर सके।

इस संदर्भ में सिमोन, डी बूवार द्वारा सेकंड सैक्स में कही गई बात पुनर्स्थापित होती है कि "महिला पैदा नहीं होती बल्कि महिला बनाई जाती है।" समाज व परिवार द्वारा यह विभाजन किया जाता है। अन्यथा क्षमताऐं तो सबसे मौजूद होती है, उन क्षमताओं को जागृत करने का कार्य समाज को करना चाहिए ना कि उन्हें दबाने का।

सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी, नारीवादी व शिक्षाविद्ध विदूषी होने के साथ–साथ वह एक लेखिका भी थी। व्यस्त दैनिक चर्चा से वह कुछ समय लेखन के लिए भी निकाल लेती थी। जैसे गुजराती में उन्होंने बच्चों के लिए कई पुस्तकें लिखी उरुन् अद्भुत स्वप्ना (1934), बबलाना पराक्रमों (1929) बालवर्तावली भाग 1–2 (1926, 1929)। इसके अलावा कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया जैसे वाल्मिकी रामायण; अरण्डकांड, बालकांड, सुंदरकांड। बहुत सी अंग्रेजी कहानियाँ गुलीवर ट्रेवल्स का अनुवाद किया। उन्होंने शेक्सपीयर के कुछ नाटकों को भी रूपांतरित किया। उनके निबंधों को केतलक लेख (1978) के रूप में एकत्र व प्रकाशित भी किया गया।

इस बहुआयामी व्यक्तित्व को 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हंसा मेहता के योगदान को कुछ पृष्ठों में समेटना ना ही आसान है तथा ना ही उनके व्यक्तित्व के साथ यह न्याय होगा। लेकिन जो राह उन्होंने दिखाई वह प्रत्येक महिला के लिए किसी संस्था से कम नहीं है। हंसा मेहता हर उस भारतीय महिला के लिए प्रेरणा स्त्रोत है, जो राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देना चाहती है। उसके लिए शिक्षा वह द्वार है जिसमें प्रवेश कर उनमें तर्कशक्ति व विवेकशीलता का उदय होता हैं शिक्षा के द्वारा सही गलत का निर्णय कर जीवन के फैसलों को लिया जा सकता है जैसे अन्तर्जातिए विवाह के मुद्दे पर वह अतार्किक रूढ़िवादी समाज के सामने नहीं झुकी और समाज की धारा के विपरित तर्क को महत्व दिया।

शादी कर बाकि महिलाओं की तरह वह घर की चारदीवारी में नहीं रही बल्कि राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में अपना पूर्ण योगदान दिया। महिला शिक्षा व कल्याण के मुद्दों को महत्वता देते हुए नये–नये प्रयास किये तथा उनमें सफलता भी हासिल की। फिर चाहे समान नागरिक संहिता की वकालत हो या हिंदू कोड बिल में बेटियों को हर क्षेत्र में बेटों के बराबर स्थान प्राप्त हो। हर मुद्दे पर उनकी बेबाक राय व कार्यप्रणाली ने उन्हें प्रत्येक महिला के लिए प्रेरणास्त्रोत बना दिया आधुनिक महिला को कैसे सशक्त बनना है, इसका पूरा पता उनकी जीवनी से किया जा सकता है। "सादा जीवन उच्च विचार" से परिपूर्ण हंसा मेहता को जानना प्रत्येक महिला के लिए जरूरी है, ताकि उनके किसी न किसी पक्ष का अनुकरण करके अपने व्यक्तित्व को निखारा जा सके। हम उनकी तरह शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, सुधारक, लेखक या

राष्ट्र निर्माता कुछ भी हो सकते है। महिलाओं के लिए उनको अनुकरण करना और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि महिला सशक्तीकरण की राह अभी और दूर है।

संदर्भ

- श्रीवास्तव, गौरी., (2006) वूमन रोल माडल : सम एमिनेन्ट वूमन ऑफ कन्टमपररी इण्डिया, आईएसबीएन 9788180693366
- जैन, देवकी., (2005) वूमन, डेवलपमेंट एंड द यूएन ब्लूमिंगटन, इंडियन यूनिवर्सिटी प्रैस
- गोल्ड, श्रद्धा, (2019) इंडियन वूमन हूँ शेपड यूनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमनः नोऊ अबाऊट हंसा मेहता इन द लोजिकल इंडियन
- अली, अरूणाः आसफ., (1991) द रिसर्जन्स ऑफ इण्डियन वूमन, रेडियन्ट पब्लिलशर, जयपुर
- अस्थाना, प्रतिमा., (1977) वूमन मूवमेंट इन इण्डिया विकास पब्लिशिंग, हाऊस, न्यू दिल्ली
- एवरेट, जना मेटसन., (1979) वूमन एंड सोशल चेंज इन इण्डिया, सैंट मार्टिन प्रैस, न्यू यार्क